(13)

## कमिश्नर वाणिज्य कर की अध्यक्षता में मुख्यालय पर दिनांक 08.02.2020 को आयोजित समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 अपील के साथ की गयी बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 08.02.2020 को कमिश्नर वाणिज्य कर की अध्यक्षता में समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्य कर, उ0प्र0 के साथ बैठक आयोजित की गई, प्रतिभागी अधिकारियों की उपस्थिति कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित है। बैठक में निम्नवत निर्देश दिये गये–

1. वर्षवार अवशेष अपीलों की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2015 की 77, वर्ष 2016 की 960, वर्ष 2017 की 3051, वर्ष 2018 की 4771 एवं वर्ष 2019 की 11694 अपीलें निस्तारण हेतु लम्बित हैं। न्यायिक संभाग लखनऊ चतुर्थ–42, कानपुर षष्ठ्म–14, लखनऊ तृतीय–9, सीतापुर–7, आजमगढ़–4 एवं प्रयागराज तृतीय में एक अपीलें वर्ष 2015 की लम्बित हैं। वर्ष 2016 की अपीलें 26 संभागों में लम्बित हैं जिसमें सर्वाधिक लखनऊ प्रथम–259, लखनऊ चतुर्थ–175, सहारनपुर 132 अपीलें हैं। ये स्थिति उचित नही है। पूर्व में भी दि0 07.02.2020 के पत्र से वर्ष 2015 एवं 2016 की अवशेष अपीलों के निस्तारण के निर्देश दिये गये थे। वर्ष 2017 की 100 से अधिक लम्बित अपीलें केवल 10 संभाग में ही है, 100 से अधिक एवं 50 से कम 14 संभाग तथा शेष 24 संभाग में 50 से कम हैं। वर्ष 2018 की 4871 अपीले अवशेष हैं। निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 की अवशेष अपीलें 31 मार्च 2020 तक निस्तारण कर दिया जाए। 600 से ज्यादा अवशेष लम्बित अपीलों के न्यायिक संभाग अलीगढ़–690, नोएडा तृतीय–775, लखनऊ प्रथम–820, लखनऊ तृतीय–850 एवं लखनऊ चतुर्थ–741 हैं। नोटिस जारी/नोटिस जारी नही अलग–अलग सूची दि0 29.02.2020 तक उपलब्ध करा दी जाए जिससे जिन अपीलीय अधिकारियों पर निस्तारण हेतु अपीलें कम हैं उनको नियमानुसार हस्तान्तिरत की जा सके।
2. प्रदेश में रू0 1 लाख से अधिक की अवशेष स्थगित अपीलों की संख्या 4772 है। जिनमें सर्वाधिक लखनऊ तृतीय–434, गाजियाबाद प्रथम–418, लखनऊ चतुर्थ–440, लखनऊ प्रथम–243 गाजियाबाद द्वितीय–222 है। इन अपीलों में रू0 10 लाख से अधिक की अपीलों की संख्या प्रदेश में 988 है, जिसमें सर्वाधिक लखनऊ प्रथम 151 व लखनऊ चतुर्थ 147 है। राजस्व हित में रू0 10 लाख से अधिक धनराशि की अवशेष स्थगित अपीलों का निस्तारण दिनांक 29.02.2020 तथा रू0 1 लाख से अधिक धनराशि की अवशेष स्थगित अपीलों का निस्तारण दिनांक 31.03.2020 तक प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए जिसके निर्देश पूर्व में ही व्यक्तिगत पत्रों से जारी किये जा चुके हैं।
3. न्यायिक संभाग अलीगढ़, कानपुर द्वितीय, गाजियाबाद चतुर्थ, मैनपुरी, लखनऊ चतुर्थ, बरेली प्रथम में 600 से अधिक निस्तारण हेतु उपलब्ध अपीलों के बावजूद भी निस्तारण मानक 5 से कम है। स्वयं संज्ञान लेने को कहा गया।
4. तृतीय त्रैमास के अन्त में रू0 10 लाख से अधिक विवादित कर की अवशेष अपीलों की संख्या 2468 है। जिसमें सर्वाधिक लखनऊ चतुर्थ 220, लखनऊ प्रथम 219, कानपुर द्वितीय 129 नोएडा तृतीय 118 है। प्रत्येक अपीलीय अधिकारियों से अपेक्षा है कि वह बड़ी धनराशि की विवादित कर की अपीलें राजस्व हित में प्राथमिकता से 31 मार्च 2020 तक निस्तारण सुनिश्चित करें।
5. माह दिसम्बर, 2019 के अन्त में रू0 5 लाख से अधिक विवादित कर की जीएसटी से संबंधित अपीलों की संख्या 472 है। जिसमें सर्वाधिक गाजियाबाद प्रथम 51, कानपुर प्रथम 30, मुरादाबाद प्रथम 26 कानपुर पंचम 23, व नोएडा प्रथम 22 है। इन अवशेष अपीलों में स्थगित धनराशि का उल्लेख केवल गाजियाबाद तृतीय, गाजियाबाद चतुर्थ एवं गाजियाबाद पंचम द्वारा किया गया है। शेष अन्य सम्भागों के द्वारा शून्य धनराशि सूचित की गयी है। आगामी माह से जीएसटी से संबंधित मासिक विवरण पूर्ण रूप से भेजना सुनिश्चित करें।
6. बैठक में जीएसटी से संबंधित मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय की जानकारी सभी अपीलीय अधिकारियों को दी गयी तथा अपेक्षा की गयी कि उ0प्र0 जीएसटी एक्ट की धारा–107 के प्रावधानों के क्रम में ही विधि अनुसार अपील निस्तारण की जाए।

**(कार्यवाही जोनल एडी0कमिश्नर/एडी0 कमिश्नर ग्रेड–2 अपील अनु0 ज्वा0 कमि (संख्या) व (विधि))**

बैठक के अन्त में अपेक्षा की गयी कि वैट एंव जीएसटी की पुरानी एवं बड़ी धनराशि की लंबित अपीलों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए समयबद्ध निस्तारण किया जाए। सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

यह कार्यवृत्त कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी किया जा रहा है।

(ए0के0शुक्ला)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**पत्र संख्याः एस0एस0–मु0 मासिक बैठक–2019–20/ 945 /वाणिज्य कर(संख्या अनुभाग) दि0: 18/2/ 2020**

**प्रतिलिपि** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उ0प्र0. शासन को सादर अवलोकनार्थ।
2. एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
3. एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर, उ0प्र0।
4. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
5. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 अपील, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
6. ज्वाइन्ट कमिश्नर (संख्या)(जीएसटी)(विधि) वाणिज्य कर, मुख्यालय।
7. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी–प्रथम/द्वितीय, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
8. डिप्टी कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

ज्वाइन्ट डायरेक्टर(संख्या) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।